

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :-429/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. पूनम चन्द पुत्र श्री दुनीराम जाति जाट निवासी कुम्हारवाली ढाणी 22 आर डब्ल्यु डी ए तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज0)।
2. संजय पुत्र श्री पूनम चन्द जाति जाट निवासी 25 आर डब्ल्यु डी ए तहसील रावतसर।
3. अजय पुत्र साहब राम जाति जाट निवासी कुम्हारवाली ढाणी 22 आर डब्ल्यु डी ए तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज0)।
4. पवन कुमार पुत्र साहब राम जाति जाट निवासी कुम्हारवाली ढाणी 22 आर डब्ल्यु डी ए तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज0)।

-वादीगण

बनाम

1. दुनीराम पुत्र श्री मोमनराम जाति जाट निवासी कुम्हारवाली ढाणी 22 आर डब्ल्यु डी ए तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज0)।
2. साहबराम पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी कुम्हारवाली ढाणी 22 आर डब्ल्यु डी ए तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज0)।
3. रोशनी पुत्री दुनीराम पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी मेमन्दपुरिया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. कलावती पुत्री दुनीराम पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी मेमंदपुरिया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
5. राजुदेवी पुत्री दुनीराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. सुमन पुत्री पुनम चन्द जाति जाट निवासी कुम्हारवाली ढाणी 22 आर डब्ल्यु डी ए तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज0)।
7. किरणदीप पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी कुम्हारवाली ढाणी 22 आर डब्ल्यु डी ए तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज0)।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री अर्जनलाल वर्मा वकील-वादीगण

श्री मदनलाल वर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 7

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 8

निर्णय दिनांक- 04-09-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि गन्धेली बारानी के प.न. 243/418(22) के किला न. 4 ता 7 की प्रत्येक किला की 0.2530 है0बारानी, किला न 14 की 0.1771 है0 पूर्वी हिस्सा व किला न. 15 की 0.2530 है0 कुल 1.4421 है0 भूमि के वादी सं. 1 व 2 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार तथा प.न. 243/418(22) के किला न. 2, 3, 8, 9, 13 पत्येक किला की 0.2530 है0, किला न. 14 की 0.0759 है0 पश्चिमी पासा कुल 1.3409 है0 बारानी व प.न. 244/418(23) के किला न. 11/2 की 0.1010 है0बारानी, दोनो पत्थरों की कुल 1.4419 है0 भूमि के वादी सं. 3 व 4 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04-09-2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

